

नियमन करने हेतु समस्त राशि प्रार्थीयान द्वारा जरिये चालान दिनांक 31.3.08
खजाना राज में जमा करायी जा चुकी है। चालानों की प्रतियां पत्रावली पर उपलब्ध
हैं।

अतः राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 का संशोधन 1984 की धारा
6(ए)(बी) के प्रावधान के अन्तर्गत चक 16 एनटीआर के प०नं० 365/432 कि०
नं० 11 की 0.18 बीघा, प०नं० 364/432 कि०नं० 13 की 0.10 बीघा, कि०नं० 14
की 0.18 बीघा, 15 की 0.18 बीघा व कि०नं० 16 ता 18 की 3.00 बीघा व कि०नं०
17 ता 25 की 3.00 बीघा कुल 9.03 बीघा व गैरमुमकिन 0.07 कुल 9.10 बीघा रकबा
के बेचान को नियमन (विधिमान्य) करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली विधि
परीक्षण हेतु श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय हनुमानगढ़ को प्रेषित की जावे। ब
विधि परीक्षण पत्रावली पुनः विधि परीक्षण के निर्णय अनुसार कार्यवाही हेतु पेश हो
निर्णय आज दिनांक 07.4.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय
सुनाया गया।



(भागीरथ शर्मा)

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़